

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा ऋण मोचन संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर फसल ऋण मोचन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 तथा संशोधित शासनादेश संख्या: 2561/12-2-2017-60(6)/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फसली ऋण मोचन की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु ऋण मोचन की धनराशि का वितरण जनपद स्तर से न करके राज्य मुख्यालय स्तर से किए जाने संबंधी निर्देश निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 2561/12-2-2017-60(6)/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-4(घ) में यह व्यवस्था की गयी है कि समस्त राज्य स्तरीय नोडल बैंकों द्वारा किसानों के खातों में धनराशि जमा करने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र अपने डिजिटल हस्ताक्षर से पोर्टल पर तीन कार्य दिवसों के भीतर अपलोड कराते हुए उसकी सूचना कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण-वितरण अधिकारी, योजना अधिकारी तथा समस्त संबंधित जिला स्तरीय समिति को भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु एन0आई0सी0 ने पोर्टल पर साफ्टवेयर का विकास करते हुए स्करोल फीड करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों द्वारा पोर्टल पर स्करोल की फीडिंग पूरी सावधानी से की जाये और जिन किसानों के खाते में ऋण मोचन की धनराशि जमा न हो सके, उसका कारण अवश्य अंकित किया जाये। साथ ही ऋण मोचन प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने में भी विशेष सावधानी बरती जाय ताकि उन कृषकों को प्रमाण पत्र का वितरण न हो जाये जिनके खाते में धनराशि जमा ही नहीं की गयी है।

3. अतः कृपया शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने हेतु यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि बैंकों द्वारा ऋण मोचन की धनराशि किसानों के बैंक खातों में जमा करने के पश्चात सर्वप्रथम पोर्टल पर दिया गया स्करोल भरा जाये और तत्पश्चात स्करोल के अनुरूप ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण हेतु प्रिन्ट किया जाये। ऐसा करने से जिन कृषकों के बैंक खातों में ऋण मोचन की धनराशि जमा नहीं हुई है उनके ऋण मोचन प्रमाण पत्र जारी होने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( राज प्रताप सिंह )

कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 53/2017/3076(1)/12-2-2017 तददिनांक।

1. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार स्करोल भरने के पश्चात ही प्रमाण पत्र के प्रींटिंग की व्यवस्था पोर्टल पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, गोमती नगर, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

( पवन कुमार )

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।